निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल–462011
Email - commissionersec@gmail.com
Ph-No. - 0755-2575616

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

क्रमांक एफ–52/NN–01/2018/तीन/246 भोपाल, दिनांक 02/04/2018

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.)
जिला–समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय : नगरपालिकाओं एवं पंचायत की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2018 हेतु संशोधित प्रक्रिया – कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण।

Subject : Revised Process for Annual revision of Photo Electoral Roll 2018 for Municipalities and Panchayats - Control table verification and rationalization of polling stations.

संदर्भ : आयोग का पत्र क्रमांक एफ–52/NN–01/2018/तीन/239 भोपाल, दिनांक 16/03/2018 एवं पत्र क्रमांक एफ–35/PN–02/2018/तीन/196 भोपाल, दिनांक 16/03/2018

––00––

1. कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके तहत् नगरपालिकाओं एवं पंचायत की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2018 हेतु संशोधित प्रक्रिया जारी की गई है।

2. प्रदेश में पंचायतों के लिए 600 मतदाताओं का और नगरपालिकाओं के लिए 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र बनाये जाने के निर्देश आयोग द्वारा पूर्व में जारी किये गये है, लेकिन समीक्षा में यह पाया गया है कि पंचायतों में लगभग 25 प्रतिशत् और नगरपालिकाओं में लगभग 35 प्रतिशत् तक मतदान केन्द्र निर्धारित सीमा से अधिक बनाये गये है। सामान्य तौर पर यह देखने में आया है कि मतदाताओं की संख्या बढ़ने पर एक मतदान केन्द्र को तोड़कर दूसरा मतदान केन्द्र बनाया गया है। इस प्रक्रिया में एक के बाद एक मतदान केन्द्र बढ़ते चले गये है, लेकिन मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण का ध्यान नहीं रखा गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या 1200 हुई तो उसे 800 और 400 मतदाताओं के दो मतदान केन्द्रों में विभाजित कर दिया गया है। भविष्य में 800 वाले मतदान केन्द्र के मतदाता यदि फिर बढ़कर 1200 हो गये तो उसे पुनः 02 भागों में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार 1600 मतदाताओं के लिए 03 मतदान केन्द्र बना दिय गये है, जबकि युक्तियुक्तकरण करने से 02 मतदान केन्द्रों में भी काम चल सकता था। मतदान केन्द्रों की अधिकता से न केवल चुनाव सम्बंधी प्रक्रियाएँ बढ़ती है, बल्कि निर्वाचन व्यय भी बढ़ता है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अब मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लिया है।

3. मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण करने का आशय यह नहीं है कि मतदान केन्द्रों की संख्या बेवजह कम की जाये। प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक नगरपालिका वार्ड के लिए न्यूनतम 01 मतदान केन्द्र स्थापित होना अनिवार्य है। इसी प्रकार 02 कि.मी. की भौगोलिक परिधि में भी मतदाता को मतदान केन्द्र उपलब्ध कराया जाना अभी भी आवश्यक रहेगा।

4. आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण करने के प्रयोजन से प्रथम चरण की प्रक्रिया कंट्रोल टेबल के वेरिफिकेशन और अपडेशन में कंट्रोल टेबल की चैकलिस्ट में अब मतदान केन्द्र के साथ साथ उस मतदान केन्द्र से सम्बंधित मतदाताओं की संख्या भी प्रदर्शित होगी। कंट्रोल टेबल की चैकलिस्ट निकालकर मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण करने के सम्बंध में परीक्षण हेतु पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और नगरपालिका के लिए आयुक्त नगरपालिकनिगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सौंपी जाये।

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और आयुक्त नगरपालिकनिगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी मतदान केन्द्रों के सम्बंध में कंट्रोल टेबल का परीक्षण करेंगे और निम्नलिखित बिन्दुओं पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :–
   - मतदाताओं की संख्या को युक्तियुक्त करते हुए मतदान केन्द्रों की संख्या में कमी किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव।
   - वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केन्द्रों के भवनों में युक्तियुक्त परिवर्तन के प्रस्ताव।
   - मतदाताओं की संख्या और भौगोलिक सीमा को ध्यान में रखते हुए मतदान केन्द्रों की संख्या में बढ़ोत्री करने के प्रस्ताव।

6. मतदान केन्द्रों की संख्या के सम्बंध में परीक्षण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाये :–
   - प्रत्येक पंचायत के लिए न्यूनतम एक मतदान केन्द्र।
   - प्रत्येक नगरपालिका वार्ड के लिए न्यूनतम एक मतदान केन्द्र।
   - पंचायतों के लिए यथासम्भव 600 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र, लेकिन मतदान केन्द्र में बढ़ोत्री मतदाता की संख्या 750 से अधिक होने पर ही की जाये।
   - नगरपालिका के लिए यथासम्भव 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र, लेकिन मतदान केन्द्र में बढ़ोत्री मतदाता की संख्या 1200 से अधिक होने पर ही की जाये।
   - नगरपालिका और पंचायत दोनों में 02 कि.मी. की भौगोलिक सीमा में एक मतदान केन्द्र अवश्य बनाया जाये।
   - नदी–नाले, पहाड़ी आदि प्राकृतिक विषमताओं के साथ साथ सामाजिक विषमताओं को दृष्टिगत रखते हुए भी मतदान केन्द्र स्थापित किये जायें।

7. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त प्रस्तावों के आधार पर परीक्षण उपरांत मतदान केन्द्रों के परिवर्तन के सम्बंध में यथोचित निर्णय लेंगे और तदानुसार कंट्रोल टेबल में मतदान केन्द्रों के सम्बंध में अपडेशन करेंगे।

8. मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास कार्पोरेशन द्वारा मतदान केन्द्रों की कमी अथवा बढ़ोत्री की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए एक डेशबोर्ड तैयार किया जायेगा, जो आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा।

9. कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से किया जायेगा।

10. संदर्भित परिपत्र की कंडिका 09 में यह आंशिक परिवर्तन किया गया है कि कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन अब हर स्थिति में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से होगा।

11. कृपया निर्देशों की प्रति सभी सम्बंधितों को उपलब्ध कराकर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

(दीपक सक्सेना)
उप सचिव
म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग

पृष्ठा. क्रमांक–एफ–52/NN–01/2018/तीन/247 भोपाल, दिनांक 02/04/2018

प्रतिलिपि –

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. प्रमुख सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
8. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
9. आयुक्त–सह–सचिव, नगरीय विकास एवं आवास संचालनालय, शिवाजी नगर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
10. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
11. संभागीय आयुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
12. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु अग्रेषित।
14. आयुक्त–सह–नियंत्रक/उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, म.प्र. भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा की ओर अग्रेषित।
15. उप सचिव (पंचायत निर्वाचन) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर सम्बंधित नस्ती में संलग्न करने हेतु।
16. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल।
17. लेखाधिकारी (बजट/निर्वाचन) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
18. उप संचालक (बजट) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
19. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ/योग्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
20. व्यय लेखा/स्टोर (स्थापना/निर्वाचन) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
21. आई.टी. शाखा प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग।
22. गार्ड फाईल।

02/04/2018

(प्रदीप शुक्ला)
अवर सचिव
म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग